आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपलाना में क्रमांक व दिनांक
31.08.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीया एवं तहसीलदार उदयपुरवाटी उप0। तहसीलदार उदयपुरवाटी से तथ्यात्मक जांच रिर्पोट प्राप्त। बहस प्रा0 प0 मूल पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीया ने राजस्व रिकार्ड में शुद्धि/दुरूस्ती करवाने का निवेदन किया। बहस श्रवण करने एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, बैंक पासबुक, परिवार राशन कार्ड, निर्णय प्रति मु0 न0 02/2020, तथ्यात्मक जांच रिर्पोट दिनांक 31.08.2021, शपथ पत्र मिश्री देवी का अवलोकन करने पर पाते है कि प्रार्थीया का सही नाम मिश्री देवी है तथा जैती देवी व मिश्री देवी दो अलग अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही एक ही व्यक्ति के नाम है। उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है। **आदेश** **प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम जोधपुरा पटवार हल्का जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खसरा संख्या 620, 621, 622, 425, 735/587 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थीया का नाम जैती देवी पुत्री गुलाराम के बजाय मिश्री देवी पुत्री गुलाराम दुरूस्त/शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करें। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे।** 31/8/21 (राम सिंह राजावत) उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं) **निर्णय आज दिनांक 31.08.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।** 31/8/21 (राम सिंह राजावत) उपखण्ड अधिकारी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:12:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner